फोन पर बात से इनकार कर रहे थे, जबकि जेल से हो रही है बातचीत

सोनम को बचाने की साजिश में जुटा गोविंद?, शिलांग जेल अधिकारी की पुष्टि से हुआ खुलासा, मीडिया को गुमराह कर रहा है रघुवंशी परिवार

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है. मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी द्वारा लगातार मीडिया में दिए गए बयानों की सच्चाई अब खुद ही सवालों के घेरे में आ गई है. गोविंद ने छह दिन पहले दावा किया था कि उसकी बहन सोनम से अब तक उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है और मीडिया में चल रही खबरें झूठ हैं, लेकिन अब जेल प्रशासन की पुष्टि ने गोविंद के दावों की पोल खोल दी है.

बुधवार 16 जुलाई को दोपहर

2.12 बजे शिलांग जेल अधिकारी रॉबर्ट और एक स्थानीय पत्रकार के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, जिसमें अधिकारी साफ तौर पर स्वीकार कर रहा है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड के सभी आरोपी हफ्ते में एक दिन अपने परिजनों से फोन पर बात कर सकते हैं. यानी, गोविंद का यह दावा कि सोनम से कोई संपर्क नहीं हुआ, अब पूरी तरह झूठ साबित हो रहा है. सूत्रों के अनुसार, गोविंद रघुवंशी इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे से अपनी बहन को बचाने की पटकथा लिख रहा है. उसने पहले शिलांग पुलिस को बहन से मिलने के लिए आवेदन देने की बात कही, फिर मीडिया से दूरी बना ली. अब खबर यह भी है कि गोविंद ने देश के नामी वकीलों से राय लेकर अपनी बहन को बचाने की कानूनी तैयारी शुरू कर दी है.

मीडिया से दूरी, रिश्तेदारों को निर्देश

गोविंद अब मीडिया को भी नियंत्रित करने की कोशिश में जुट गया है. उसके कुछ करीबी रिश्तेदारों ने बताया कि वह कह चुका है जब तक मैं नहीं चाहूं, तब तक कोई मीडिया वाला हमारे घर नहीं आएगा. यह सख्ती तब और स्पष्ट हो गई जब कुछ दिन पहले गोविंद के पिता ने मीडिया के सामने कुछ उलझे-बुझले बयान दिए, जिससे परिवार की किरकिरी हो गई.

न्यायालय के लिए गढ़ी जा रही कहानी

सूत्रों का यह भी दावा है कि गोविंद कोर्ट में यह कहानी पेश करने की तैयारी में है कि राजा रघुवंशी की हत्या एकतरफा प्रेम का नतीजा थी, जिसमें उसकी बहन का कोई हाथ नहीं था. प्लानिंग राज और उसके साथियों ने की, सोनम को इसकी भनक तक नहीं थी यही स्क्रिप्ट कोर्ट के सामने रखी जाएगी.

बताया जा रहा है कि गोविंद ने केस में सह-आरोपियों विशाल, राज, आकाश और आनंद के परिवारों को भी विश्वास में लिया है और उन्हें यह प्रस्ताव दिया है कि उनके वकीलों की फीस वह खुद देगा. इसके पीछे की मंशा यही मानी जा रही है कि वह केस की पूरी रणनीति को अपने हाथ में लेकर बाकी आरोपियों को दोषी और सोनम को बेकसूर साबित कर सके. राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी जितनी खुलती जा रही है, उतने ही नए सवाल खड़े हो रहे हैं. गोविंद रघुवंशी की कथनी और करनी के बीच का अंतर अब जांच एजेंसियों और कोर्ट की नजर में भी आने लगा है. अब देखना यह है कि शिलांग पुलिस द्वारा चालान पेश किए जाने के बाद गोविंद अपनी बहन को बचाने के लिए किस हद तक जाता है.

प्रदेश के 9500 स्कूलों में बिजली नहीं

पटवारी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

नवभारत न्यूज

भोपाल, 16 जुलाई. मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

उन्होंने केंद्र सरकार के एक रिपोर्ट के हवाले से राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भयावह और चिंताजनक बताया है. पटवारी ने पत्र में लिखा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत संचालित यूडाइस (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) की वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट में मध्यप्रदेश की शिक्षा संबंधी मूलभूत समस्याएं उजागर हुई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के करीब 9500 सरकारी स्कूलों में अब भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है. वहीं 12 हजार से अधिक स्कूलों में केवल एक शिक्षक के भरोसे पूरी कक्षा की पढ़ाई हो रही है. कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाया है कि जब सरकार के पास पर्याप्त बजट और प्रशासनिक ढांचा मौजूद है, तो फिर बच्चों को बिजली, शिक्षक, फर्नीचर और शौचालय जैसी न्यूनतम सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं.

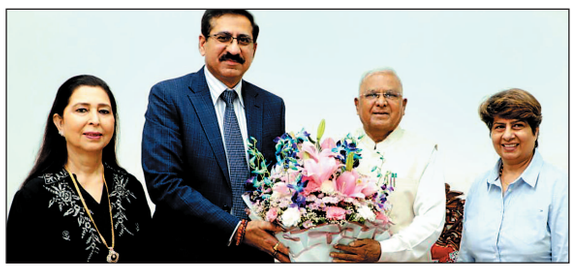

सचदेवा आज लेंगे चीफ जस्टिस पद की शपथ

भोपाल, 16 जुलाई. मप्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किये गये न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा गुरुवार को मुख्य न्यायाधिपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे.

राजभवन में संक्षिप्त और गरिमामय कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे. समारोह प्रात: 10 बजे सांदीपनि सभागार में होगा. न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा बुधवार दोपहर को राजधानी पहुंच गये हैं. राजभवन में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा का राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया. इस अवसर पर राजभवन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मनोनीत न्यायमूर्ति सचदेवा का स्वागत किया. शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रदेश के मंत्री, हाईकोर्ट के जस्टिस, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे.

सिहस्थ में चलाएंगे नई रेल, बन्द होगा अतिक्रमण का खेल

- रेलवे ने बनाई 800 करोड़ की विकास योजना
- महाप्रबंधक गुप्ता ने लिया उज्जैन की तैयारी का जायजा
- डीआरएम की दौरे में अचानक बिगड़ी तबीयत

उज्जैन. महाकुंभ 2028 की तैयारी का जायजा लेने के लिए महाप्रबंधक विवेक गुप्ता बुधवार को उज्जैन पहुंचे. उनके साथ डीआरएम अश्वनी कुमार भी थे. रेलवे के जीएम ने कहा कि सिंहस्थ के दौरान नई ट्रेन चलाई जाएगी और 800 करोड़ की विकास योजना तैयार की गई है. जीएम ने अवैध निर्माण अतिक्रमण को लेकर खासा जोर दिया, उन्होंने कहा कि रेलवे की जमीन पर कब्जों की शिकायत मिली है जिसे दूर किया जाएगा.

नवभारत से चर्चा में रेलवे महाप्रबंधक विवेक गुप्ता ने बताया कि श्रद्धालुओं को अन्य यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराएंगे, सभी ट्रेनों में कोच बढ़ाए जाएंगे, उज्जैन स्टेशन से लेकर आसपास के बाकी स्टेशनों के लिए विकास योजना बनाई गई है सिंहस्थ के पहले सभी काम पूर्ण होंगे.

डीआरएम की तबीयत बिगड़ी

पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के डीआरएम अश्विनी कुमार की बुधवार को उज्जैन में अचानक तबीयत बिगड़ गई. वह सिंहस्थ से जुड़ी रेलवे की तैयारी का प्रजेंटेशन लेने आए जीएम विवेक कुमार गुप्ता के साथ उज्जैन आये थे. रेलवे स्टेशन के पास होटल अवंतिका में उन्हें चक्कर आया और वे अचेत हो गए, उन्हें तुरंत अवंती अस्पताल ले जाया गया, हालांकि बाद में उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया।

महाकाल दर्शन कर तैयारी को देखा

बुधवार को मुंबई से सुबह 7.30 बजे अवंतिका एक्सप्रेस में लगे स्पेशल कोच से महाप्रबंधक विवेक गुप्ता उज्जैन पहुंचे थे. यहां आकर उन्होंने सबसे पहले श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए. दर्शन के बाद वे सीधे स्टेशन पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया. यहां उन्होंने स्टेशन के एंट्री-एक्जिट सहित नए प्लेटफॉर्म नंबर 7 सहित प्लेटफार्म नंबर 6, 8 व 1 का भी निरीक्षण किया.

रोप- वे और नए स्टेशन पर असमंजस

महाप्रबंधक विवेक गुप्ता ने चर्चा में बताया कि रोप-वे को लेकर हमारी पूरी तैयारी है, मध्य प्रदेश सरकार से कोऑर्डिनेशन करके आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे हमने साइट खाली करने के लिए भी निर्देश दे दिए हैं. साथ ही सिंहस्थ के पहले यदि रेलवे स्टेशन का निर्माण नए सिरे से हो सकता है तो संभावनाएं देख रहे हैं. हालांकि यात्रियों को दिक्कत न आए, ऐसे में हम वही काम करेंगे जो जरूरी होगा.

पांच स्टेशनों का उन्नयन होगा

नईखेड़ी, पिंगलेश्वर और विक्रमनगर, चिंतामण और पंवासा रेलवे स्टेशन का दौरा भी किया, इन स्टेशनों को सिंहस्थ के लिए विकसित किया जा रहा है. इसके बाद रेलवे कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी, जेडआरयूसीसी व डीआरयूसीसी कमेटी के सदस्यों से चर्चा की. शाम 7 बजे अवंतिका एक्सप्रेस से मुंबई के लिये रवाना हुए.

सांसद और महाप्रबंधक की हुई मुलाकात

रेलवे स्टेशन के कांफ्रेंस हॉल में सांसद अनिल फिरोजिया ने जीएम गुप्ता से करीब आधे घंटे चर्चा की. इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ के मद्देनजर उज्जैन व आसपास के स्टेशनों पर रेलवे सुविधाएं बढ़ाने की मांग रखी हैं. सांसद ने उज्जैन आने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा होने के कारण यहां यात्री सुविधाएं और नई ट्रेनों को उज्जैन स्टेशन से जोड़ने का कहा.

खेल विशेषज्ञता का लाभ युवाओं तक पहुंचे

सीएम ने स्पेन यात्रा के पहले दिन मैड्रिड में लॉलीगा मुख्यालय का किया दौरा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी स्पेन यात्रा के पहले दिन की शुरूआत मैड्रिड स्थित विश्व प्रसिद्ध लॉलीगा मुख्यालय के भ्रमण से की और वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट कर खेल, युवा सशक्तिकरण और निवेश सहयोग पर केंद्रित संवाद किया.

उन्होंने कहा कि लॉलीगा की खेल विशेषज्ञता और वैश्विक पहुंच का लाभ मध्यप्रदेश के युवाओं तक पहुंचना चाहिए. यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि खेल के क्षेत्र में नवाचार,

सामाजिक समावेशन और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की दिशा में प्रदेश के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लॉलीगा के पदाधिकारी और तकनीकी निदेशकों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि मध्यप्रदेश में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर फुटबॉल एक्सीलेंस सेंटर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन और स्पेनिश कोचिंग आधारित यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रारंभ किए जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि लॉलीगा के साथ यह साझेदारी केवल खेलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह प्रदेश में रोजगार सृजन, सामाजिक भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और सांस्कृतिक पर्यटन को नई दिशा दे सकती है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सुझाव दिया कि लॉलीगा मैचों के दौरान डिजिटल और ग्राउंड को-ब्रांडिंग अभियानों के माध्यम से मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विविधता, वन्यजीव, विरासत स्थलों और पर्यटन अवसरों का स्पेन और यूरोप के व्यापक दर्शकों के बीच प्रभावी प्रचार किया जा सकता है. इससे न केवल पर्यटन बल्कि स्पोर्ट्स टूरिज्म, फिटनेस, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग और स्पोर्ट्स टेक जैसे सेक्टर्स में विदेशी निवेश आकर्षित करने की संभावनाएं मजबूत होंगी.

लॉलीगा और मप्र भविष्य के साझेदार

लॉलीगा स्पेन की प्रमुख पेशेवर फुटबॉल लीग, न केवल स्पोर्टिंग उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर युवाओं के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और ब्रांड विस्तार का भी एक प्रभावशाली मंच है. भारत में लॉलीगा की सक्रियता, विशेषकर लॉलीगा फुटबॉल स्कूल जैसी पहल, यह दर्शाती हैं कि स्पेनिश फुटबॉल का भारतीय युवाओं से गहरा संबंध बन चुका है. अब यह संबंध मध्यप्रदेश जैसे संभावनाशील राज्य के लिए नए अवसरों का द्वार खोल सकता है.

अफसर हटाओ, जांच कराओ

दिग्विजय ने उठाया सवाल

हरदा,16 जुलाई. मध्यप्रदेश के हरदा जिले में शनिवार को करणी सेना के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और बल प्रयोग का मामला अब सियासी रंग ले चुका है.

धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी को कथित रूप से संरक्षण देने के आरोपों के विरोध में करणी सेना द्वारा सिटी कोतवाली थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया, जहां स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर किया. इस दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सहित 50 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. हालांकि बाद में शेरपुर को सशर्त रिहा कर दिया गया. लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है.

सार्वजनिक सूचना

उधना ⇌ संकरेल गुड्स टर्मिनल यार्ड

ट्रेन संख्या : 00907	ट्रेन संख्या : 00908
एक्स = उधना रविवार	एक्स = एसजीटीवाई बुधवार

"संयुक्त पार्सल उत्पाद - तीव्र कार्गो सेवा"

उद्घाटन रन 20.07.2025

- संरचना : 20 वीपी + 1 एसएलआरडी, टीएल = 21 सीएचएस
- टाटानगर और खड़गपुर में मध्यवर्ती ठहराव
- विस्तृत प्रक्रिया के लिए इस साइट पर जाएँ - www.fois.indianrail.gov.in/RailSAHAY

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in

हमें पसंद कीजिए facebook.com/WesternRly | हमें पालन करें X.com/WesternRly | Instagram/WesternRly

पैरामेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पर रोक

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन व जस्टिस दीपक खोत की विशेष युगलपीठ ने प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता व प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

युगलपीठ ने मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पैरामेडिकल कॉलेजों को मान्यता प्राप्त होने के पूर्व ही कोर्स प्रारंभ हो गया. ऐसी पागलपन वाली नीतियां कौन बनाता है. याचिका पर अगली सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की गयी है. ला स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा नर्सिंग मामले पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पिछली सुनवाई में एक आवेदन पेश किया गया था. इसमें कहा गया था कि नर्सिंग की तरह पैरामेडिकल कॉलेज के मान्यताओं में भी अनियमितताएं की जा रही हैं.

> याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 समाप्त होने के बावजूद भी प्रदेश में संचालित 150 से अधिक पैरामेडिकल कॉलेजों को मान्यता व दाखिले की अनुमति 2025 में प्रदान की गयी है. इसके अलावा प्रदेश सरकार ने केंद्रीय पैरामेडिकल काउंसिल को समाप्त कर दिया था. इसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर उसे बहाल कर दिया गया. युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे नीतियां कौन बनाता है. कुछ तो गडबडी है कि मान्यता मिलने से पहले अपना कहना है कि कोर्स प्रारंभ हो गया है. इसे हम पागलपन करते है और पागलपन के प्रक्रिया में खडे है.

एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा एकेडमिक सत्रों 2023-24 एवं 2024-25, की मान्यता भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की जा रही है. मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किए सरकारी व निजी पैरामेडिकल कॉलेजों के द्वारा अवैध रूप से छात्रों के प्रवेश दिए जा रहे हैं.

पेज एक का शेष

भारत-स्पेन जुड़वा भाइयों की तरह : डॉ. मोहन

मध्यप्रदेश आंतरिक सड़कों, नेशनल हाईवेज, रेल और हवाई मार्ग से देश-विदेश से जुड़ा है. मप्र सभी सेक्टर्स में तेजी से आगे बढ़ने वाला भारत का राज्य बना है. हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मप्र में फूड प्रोसेसिंग, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री और टेक्सटाईल सेक्टर में बड़ी संभावनाएं हैं. हम सभी सेक्टर्स में यहां आने वाले निवेशकों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने की क्षमता रखते हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों से आग्रह किया कि सुरक्षित निवेश के लिए आप बेहिचक मध्यप्रदेश से जुड़िए. हमारी 18 प्रकार की हाईटेक औद्योगिक नीतियों का लाभ लें. मप्र निवेशकों को केपिटल रिटर्न देने में पीछे नहीं रहेगा. उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश की विकासशीलता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी प्रभावित किया है. मध्यप्रदेश में निवेश करने पर भारत सरकार की ओर से भी देशी-विदेशी निवेशकों को कई तरह की रियायतें दी जा रही हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या भी तेजी से बढ़ाई जा रही है और नई मेडिकल डिवाईसेस के लिए देशी और विदेशी कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं. अब मध्यप्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है. इस दौरान मप्र के अफसरों ने प्रेजेंटेशन भी दिया.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	73520744	होम लोन	21.06.2025	4,27,485.98/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. राम सिंह 2. साजन बाई

संपत्ति का पता: संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट, भूमि सर्वेक्षण संख्या 912, पटवारी हल्का संख्या 70, ग्राम: गुराड़िया, तहसील: घटिया, जिला: उज्जैन, मध्य प्रदेश-456550, पर स्थित है और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: रोड, पश्चिम: निर्गम सिंह की संपत्ति के बाद स्वयं की संपत्ति, उत्तर: नटर सिंह का मकान, दक्षिण: भेरू सिंह की संपत्ति के बाद स्वयं की संपत्ति

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 17.07.2025
स्थान: रतलाम

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

प्रक्रिया में बदलाव लोनिवि के ओवर ब्रिज, फ्लाय ओवर में लगातार खामी आने के बाद लिया निर्णय

लोनिवि के इंजीयिरों को अब ट्रेनिंग देगी सरकार

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 जुलाई. प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों द्वारा तैयार किये गये पुल, ओव्हर ब्रिज, फ्लाय ओवर आदि के डिजाइन और निर्माण में लगातार खामी आने के बाद अब राज्य सरकार प्रदेश के इंजीनियरों को और दक्ष बनाएगी, जिससे कि उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़े और नई तकनीक के साथ वे बेहतर सामंजस्य स्थापित कर सके.

इसके लिए उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जायेगी. इसके लिये मप्र रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तकनीकी सलाहकार को इंडियन अकादमी फॉर हाईवे इंजीनियरिंग के साथ मिलकर पुलों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.ाज्य के सभी अभियंताओं को इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी कोड्स और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मोर्थ के दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर उनके आधार पर कार्यों का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए गए हैं.

ब्रिज परियोजनाओं के गुणवत्तापूर्ण निर्माण, मापदंड अनुसार डिजाइन, सतत सुपरविजन प्रणाली अपनाने एवं निर्माण के दौरान सतत निरीक्षण के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. रेलवे अथवा नगर निगम जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है.

> राज्य शासन ने निर्देश जारी किए हैं कि निर्माण के दौरान होने वाले सभी परिवर्तन अन्य स्टेकहोल्डर्स जैसे नगर निगम और रेलवे के समन्वय से ही किए जाएं. ब्रिज परियोजनाओं में आने वाली जटिल बाधाओं के शीघ्र निराकरण के लिये प्रमुख अभियंता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें आवश्यकता अनुसार शासकीय या निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है. अब समस्याओं का तकनीकी स्तर पर शीघ्र समाधान हो सकेगा और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी.

निर्माण के दौरान स्टेकहोल्डर्स से समन्वय जरुरी

मुख्य अभियंता सेतु परिक्षेत्र पीसी वर्मा द्वारा के मुताबिक पुराने अलाइनमेंट्स को रद्द नहीं किया गया है अपितु गलती से जारी हुआ एक त्रुटिपूर्ण आदेश उसी दिन निरस्त कर दिया गया. उल्लेखनीय है कि पुलों और फ्लायओवर की जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग (जीएडी) रेलवे और लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती हैं. मुख्य अभियंता को इन्हें निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसी कोई आवश्यकता किसी परियोजना में परिलक्षित नहीं हुई है. निर्माण कार्यों के दौरान अक्सर स्थान विशेष की परिस्थिति अनुसार अलाइनमेंट और डिजाइन में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जो कि सतत प्रक्रिया का हिस्सा है. ऐसे परिवर्तनों के दौरान संबंधित आईआरसी कोड और मोर्थ के मापदंडों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाता है.

बड़ी परियोजनाओं में डिजाइन तैयार करने निजी क्षेत्र के इंजीनियरों करेंगे सहयोग विभाग बड़ी परियोजनाओं के लिए अनुबंध के अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है,

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7390/60